बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 7/4/21 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही

भारत सरकार द्वारा आदेशित COVID-19 Pandemic के कारण लॉकडाउन से उत्पन्न अप्रत्याशित व्यवधान से ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

(v) श्री राजीव नयन प्रसाद सिंह, मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

(vi) श्री कृष्ण कुमार सिंह, उप सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

2(i) उपरोक्त विषय के संबंध में भारत सरकार द्वारा आदेशित GOI, MHA का पत्रांक–40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 24.03.2020 के द्वारा राज्य में लॉक डाउन की अवधि (COVID-19) में दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 19.04.2020 तक ग्रामीण कार्य विभाग के प्रगतिशील योजनाओं का कार्य बंद रहने के कारण दिनांक 06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत सभी प्रगतिशील योजनाओं में 45 दिनों तक की समयवृद्धि Force Majeure के तहत् विभागीय पत्रांक–1238 अनु0 दिनांक 08.05.2020 द्वारा स्वतः एकमुश्त दिया गया था।

2(ii) भारत सरकार के संशाधित Norms & Guidelines के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के आलोक में प्रगति की समीक्षा के क्रम में Covid-19 एवं लॉकडाउन के फलस्वरूप Performance of Contract में उत्पन्न कठिनाईयाँ Payment cycle एवं Liquidity Problem में अप्रत्याशित व्यवधान के कारण राज्य बजट से संचालित

(५२१)

योजनाओं के प्रगति पर पड़ने वाले प्रभाव का पुर्नमूल्यांकन किया गया। तद्आलोक में प्रदत्त 45 दिनों की समयवृद्धि को (पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनाओं को छोड़कर) विस्तारित करते हुए 90 दिनों तक की जाती है। वैसी योजनाओं जिसकी कार्य समाप्ति की अवधि दिनांक 25.03.2020 या उसके बाद निर्धारित है, उन सभी योजनाओं (पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनाओं को छोड़कर) में समयवृद्धि स्वतः दी जाती है। ऐसी सभी योजनाओं के लिए अलग से काई समयवृद्धि आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2(iii) विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

2(iv) उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से कार्य अवधि की संशोधित तिथि को निर्धारित कर संवेदक को सूचित करेंगे।

07.04.21	7.4.21	7/4/21
(कृष्ण कुमार सिंह) उप सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार ग्रामीण कार्य विभाग	(राजीव नयन प्रसाद सिंह) मुख्य अभियंता–1 ग्रामीण कार्य विभाग	(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा) मुख्य अभियंता–2 ग्रामीण कार्य विभाग
07/04/21	7/4/21	
(कमलेश चौधरी) मुख्य अभियंता–3 ग्रामीण कार्य विभाग	(अशोक कुमार मिश्रा) अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग	(पंकज कुमार पाल) सचिव ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकःमु0अ0–4(मु0) विविध–23–39/2020 - 1185 /पटना, दिनांक 08/04/2021

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता–1/2/3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/4/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख